प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 08/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने ''दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष (पांचवां संशोधन) विनियम, 2020'' जारी किया।

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ''दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष (पांचवां संशोधन) विनियम, 2020'' जारी किया है।

2 दिनांक 15.06.2007 के मूल विनियम अर्थात् दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष विनियम, 2007 (2007 का 6) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं की अदावा राशि जमा करने, दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष के अनुरक्षण और अन्य संबंधित पहलुओं के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क मुहैया कराते हैं। इन विनियमों के अनुसार, सेवा प्रदाता अदावा राशियों को इस कोष में जमा कर रहे हैं।

3. प्राधिकरण ने टिप्पणी की है कि ऐसी राशि जमा करने के बारे में सेवा प्रदाताओं के बीच स्पष्टता लाने की आवश्यकता है जिसे वे उपभोक्ताओं को वापस करने में असमर्थ हैं। इसलिए, यह महसूस किया गया कि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने और उपभोक्ता की किसी अदावा राशि को जमा करने को सुगम बनाने के लिए टीसीईपीएफ विनियम में संशोधन किया जाए।

4. इस संबंध में, 18.10.2019 को टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एक मसौदा संशोधन जारी किया गया था। हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, आज, प्राधिकरण ने पांचवा संशोधन जारी किया। इस संशोधन से सेवा प्रदाता उपभोक्ता की किसी भी प्रकार की अदावा राशि को 12 माह या कानून द्वारा विहित समयसीमा, जो भी बाद में हों, के बाद कोष में जमा कर सकेंगे जैसे अतिरिक्त शुल्क, प्रतिभूति जमा, विफल एक्टीवेशन के प्लान प्रभार, या उपभोक्ता से संबंधित कोई भी राशि, जिसे सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को वापस करने में असमर्थ हैं।

5. विनियमों के पांचवें संशोधन को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर देखा जा सकता है।

6. किसी और स्पष्टकीकरण के लिए श्री संजीव बंजाल, सलाहकार (सीएएंडआईटी), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबरः 011-23210990, ईमेलः advisorit@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।